Shri Priya Gupta: On a point of order, Sir. If what the hon. Minister has said is right, how can the Railway Minister and the Deputy Minister come from non-technical people and not from railwaymen themselves?

Maharajkumar Vijaya Ananda: Will the Government consider sending a pilot before mail trains to avoid accidents or at least minimise them?

Shri Swaran Singh: I do not think it will be necessary to have this duplicate running of some pilot train, and we should concentrate on eliminating the causes by improving our operation and arousing safety-consciousness. It will, I think, be a great wastage if we were to run pilots to ensure safety.

श्री प्रिय गुप्त : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्राडंर, सर । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब भी एक्सीडेंट्स के बारे में मैकनिक्ल, सिगनल, ट्रांसपोरटेशन, लोको या इंजीनियरिंग के ग्रफसरान इनक्वायरी करते हैं तो ग्रापस के एक दूसरे के दोष को ढक कर कोई दूसरा ही कारण दिखलाने की कोशिश करते हैं ग्रौर उस के हिसाब से ग्रपनी फाइंडिंग देते हैं ?

क्या यहबात भी सच नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राफिसर द्वारा स्टेशन वर्किंग रूल्स के खिलाफ भी नीचे तबके के एम्प्लाईज को काम करने के लिय मजबूर करने की वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं ? माल सप्लाई न होने की वजह से ग्रौर ग्रनरिपेयर्ड लोको कोचेज, पटरी ग्रौर स्लीपर्स जो कि ड्यू फार रिपेयर्स एंड ग्रोवरहालिंग हैं ग्रौर जिनके स्तेमाल करने में एक्सीडेंट्स हो जाने का खतरा रहता है उनको क्यों ऐलाऊ किया जाता है । खुद रेलवे मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि रेलवे के बहुत से स्लीपर्स ग्रौर पटरियां खराब हैं ग्रौर उनके कारण ऐक्सीडेंट्स हो सकते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लेप्सेज के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्रफसरान के ऊपर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रध्यक्ष महोदय : इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है । यह तो लेक्चर है ।

श्री प्रिय गुप्त : ग्रध्यक्ष महोदय जी नहीं

12 hrs.

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राडंर, ग्राडंर ।

Contaminated Flour from U.S.A.

+

S.N.Q. No. 1. { **Shri Mohan Swarup:**
Shri Hem Barua:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Yashpal Singh:
Shri P. C. Borooah:
Shri S. M. Banerjee:
Shri A. N. Vidyalankar:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a consignment of flour was sent by philanthropic societies in the U.S.A. to their representatives in this country;

(b) if so, the quantities thereof and the names of the societies, which donated the flour;

(c) whether it is a fact the consignment of flour has been contaminated;

(d) whether any inquiry has been initiated to find out the source and place of contamination;

(e) whether it is a fact that over 600 people in two districts in West Bengal and another in Assam were recently struck by paralysis after eating chapatis made from imported flour;

(f) whether it is also a fact that 180 boys of Chotapu Khuri Mission School in Assam, who ate chapatis made in the school kitchen out of a consignment of all purpose flour donated by the people of U.S.A., suffered from partial paralysis of the limb; and

(g) if so, the details thereof and the action taken by the Government pertaining thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): Sir, the answer comes to about four typed pages.

Shrimati Renu Chakravartty: He may read it. We have got so many questions.

Mr. Speaker: Has the statement been laid on the Table of the House?

Shri A. M. Thomas: With your permission, I can lay it on the Table of the House.

Shrimati Renu Chakravartty: Unless he reads it, how can we put questions?

Mr. Speaker: I cannot allow—and the Members would agree with me—the Minister to read a four-page statement. The Members would also like to know what it contains in order to be able to put questions. I would suggest then that the statement of four pages might be laid on the Table of the House, and tomorrow I will give opportunities to Members to put questions.

Shri A. M. Thomas: Sir, I lay the answer on the Table. [*See* Appendix I, annexure No. 15].

श्री बागड़ी : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर . . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस वक्त प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मेरी बात सुन लीजिये, मेरी अर्ज सुन लीजिये । अर्ज यह है कि मैंने खाद्य पदार्थों की मिलावट के बारे में कालिंग एटेंशन नोटिस और शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया था जो कि यह दिल्ली में सोडा वाटर की बोतल में छिपकली और मक्खियां और डबल रोटी में जंग लगी सुई मिलती है उन के सम्बन्ध में था ।

यह इसलिये नामन्जूर कर दिये गये कि आज की लिस्ट आफ क्वेश्चंस में ७४ और ८८ नम्बर के सवाल इसी बारे में थे लेकिन वह सवाल आये नहीं और क्वेश्चन टाइम खत्म हो गया । अब शार्ट नोटिस क्वेश्चन देने का मतलब ही यह होता है कि वह महत्वपूर्ण है और वह अवश्य सदन में आये । यह खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रश्न बहुत अहम और महत्वपूर्ण है और इस पर बहस करने के लिये दिन जरूर रख देना चाहिये । चूंकि यह देश की जनता के स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखता है और यह बहुत अहम सवाल है इसलिये इसके ऊपर अलाहदा से दो, घंटे या तीन घंटे का समय बहस करने के वास्ते रक्खा जाये ताकि सभी लोग इस पर अपने विचार प्रकट कर सकें और किसी नतीजे पर पहुंच जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : जो मेम्बर इस पर अलाहदा से बहस चाहते हैं उनको इसके वास्ते नोटिस देने का अधिकार है । जब वह नोटिस देंगे तभी उस पर फैसला होगा । इस तरह महज जबानी कहने से कोई जवक्त मुकर्रर नहीं किया जा सकता है और न ही बहस हो सकती है ।

दूसरा सवाल मेरे और माननीय सदस्य के दरमियान यह हमेशा तनाजा रहता है कि आया जब मैं उनको इजाजत दूं तब वह बोलें या जब वह खड़े हो जायें तो मैं बैठ जाऊं और मुझे उनको जरूर बोलने की इजाजत देनी चाहिये । इस बात का निर्णय पहले हो जाना चाहिये क्यों कि कोई प्रोसीज्योर तय करके ही काम हो सकता है वैसे हाउस में कोई काम नहीं हो सकता है । मैं तो यह समझता हूं और मेम्बर साहबको भी यह समझ लेने की जरूरत है कि जब स्पीकर साहब बोलने की इजाजत दें तभी वह बोलना शुरू करें और ऐसा न करें कि मैं तो उन्हें बंद करता हूं और वह बोलना शुरू कर देते हैं और मुझे बैठ जाना पड़ता है । मैं यह चीज कितनी दफे बर्दाश्त करूं? मैं माननीय सदस्य से यह विनय करना चाहूंगा कि इस बात के लिये पहले फैसला होना चाहिये कि जिस मेम्बर साहब को स्पीकर इजाजत देंगे वही बोलेंगे

और जब तक उसे बोलने की इजाजत नहीं मिलती है तब तक उसे बोलना नहीं चाहिये। मेरा खयाल है कि आज से आगे ऐसा ही होगा।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि जब माननीय सदस्य ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया और आप बैठ गये तो उन्होंने यही समझा कि आप शायद उनको बोलने की इजाजत दे रहे हैं और उस लिये उन्होंने अपनी बात कही ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो समझा वह अपने हिसाब से उन्होंने ठीक ही समझा ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, चूंकि मेरे से यह बात सम्बन्ध रखती है इस लिये मैं इसे साफ कर दूं.....

अध्यक्ष महोदय : बगैर मेरी इजाजत के आप नहीं कर सकते ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

D.V.C. Navigational Canal

Shri Daji:
Shri P. K. Deo:
Shri Narendra Singh Mahida:
Shri P. C. Borooah:
Shrimati Renu Chakravartty:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Damodar Valley Corporation has not yet repaired the canal damaged in 1958-59;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is also a fact that the non-repairs have left the canal un-navigable and coal supplies to Bengal are held up?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Alagesan): (a) No; Sir.

(b) and (c). **Do not arise.**

खाद्य उत्पादन

*५८. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध चेसदा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री राम रत्न गुप्त :
डा० क० ल० राव :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री हेम राज :
श्री दाजी :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री मं० क० कुमारन :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री मुहम्मद ताहिर :

क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष खाद्य उत्पादन मांग की तुलना में कितना कम है ;

(ख) कितने अनाज यानी गेहूं आदि का विशेषत: १९६२-६३ में आयात किया जायेगा ;

(ग) क्या इस वर्ष भारत को अमरीका से उसकी कुल आवश्यकता का गेहूं प्राप्त नहीं हो रहा है और इसके कारण हैं ;

(घ) आस्ट्रेलिया सरकार से एक लाख टन गेहूं खरीदने के, जिसके सम्बन्ध में जुलाई के प्रथम सप्ताह में समझौता हुआ था, क्या कारण हैं और भारत को इससे क्या लाभ होगा ; और

(ङ) अमरीकी गेहूं और आस्ट्रेलिया के गेहूं के मूल्यों और किस्म में क्या अन्तर है और भारत में ये क्या क्या भाव पर बिकेंगे ?